

अभ्यर्थी के रूप में चयनित किए गए लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों से संबंधित सूचना और ऐसे चयन के कारण तथा बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया, से संबंधित विवरण

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में वर्ष 2018 की अवमानना याचिका (सिविल) सं. 2192 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.02.2020 के आदेश के अनुसरण में जारी आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम :- भारतीय जनता पार्टी

निर्वाचन का नाम :- लोकसभा

राज्य/सं. रा. क्षेत्र का नाम :- मध्यप्रदेश

(1) निर्वाचन क्षेत्र का नाम :- 16 छिंदवाडा

अभ्यर्थी का नाम :- श्री विवेक साहू "बन्टी"

कं. सं.			
01.	आपराधिक पूर्ववृत्त		
	क.	अपराधों की प्रकृति	असंज्ञेय
	ख.	मामला संख्या	आर.सी.टी. 1395/2019
	ग.	न्यायालय का नाम	जे.एम.एफ.सी. छिंदवाड़ा
	घ.	क्या आरोप विरचित कर दिये गये हैं या नहीं (हां/नहीं)	हां
	ड.	दोषसिद्धि की तिथि, यदि कोई हो	लागू नहीं
	च.	भुगती गई सजा का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
02.	अभ्यर्थी के चयन का कारण। चयन, अभ्यर्थी की योग्यता, उपलब्धि और उसकी मेरिट को देखते हुये किया जायेगा न कि सिर्फ मतदान में 'विजय प्राप्त करने की क्षमता'। (100 शब्द से अधिक न हो)		क्षेत्रीय जनता में लोकप्रियता के कारण नाम प्रस्तावित किया गया है। दर्ज किया गया प्रकरण राजनैतिक द्वेष से प्रेरित है।
03.	यह कारण बतायें की बिना आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अन्य व्यक्तियों को अभ्यर्थी के रूप में क्यों नहीं चुना गया। (100 शब्द से अधिक न हो)		क्षेत्रीय जनता एवं कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता के आधार पर पार्टी द्वारा उम्मीदवार चयनित। ग्रेजुएट, शिक्षित, अनुभवी व सामाजिक व्यक्तित्व।



(भगवानदास सबनानी)

विधायक एवं प्रदेश कार्यालय प्रभारी,
भारतीय जनता पार्टी,
मध्य प्रदेश